न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 19/2011

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री गोविन्द पुत्र छगनलाल जाति अग्रवाल निवासी मानपुर मैसर्स भवानी चक्की फ्रेश आटा मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, सिरोही
2. श्री हरीओम दत्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक – 30.6.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 7.11.11 को समय दोपहर 2.00 बजे श्री किशोरीलाल शर्मा नायब तहसीलदार, अतिरिक्त कार्यभार प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड आकस्मिक निरीक्षण हेतु मानपुर स्थित मैसर्स भवानी चक्की फ्रेश आटा फर्म पर नियंत्रित वस्तुओं (गेहूँ) की कालाबाजारी का अन्देशा होने पर पहूँचे। वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर फर्म के मालिक के भाई श्री सागरमल अग्रवाल मौजूद मिले। फर्म के गोदाम में पडे सीलबंद कट्टों का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्ट्या पाया गया कि उक्त कट्टों में गेहूँ भरा हुआ था। कट्टों का निरीक्षण करने पर कट्टों के ऊपर फुड एण्ड सप्लाई डिपार्टमेन्ट हरियाणा एवं हरियाणा एग्रो इन्ड. कारपोरेशन के 2010–11 लिखे हुए 12 कट्टे पाये गये। उक्त कट्टों का वजन करने पर प्रत्येक कट्टा 50 किलोग्राम का पाया गया। इस प्रकार गोदाम में कुल 6 क्विंटल गेहूँ 12 कट्टों में पाया गया। उक्त कट्टों पर कम्पनी की मशीन से सिलाई लाल डोरे से की हुई थी एवं कही से भी सिलाई टूटी हुई नहीं पाई गई। उपरोक्त कट्टों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम डिपो सिरोही रोड से जानकारी ली गई, तो उन्होने बताया कि उक्त प्रकार की मार्किंग के कट्टे भारतीय खाद्य निगम डिपों सिरोही रोड द्वारा विगत तीन माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर आपूर्ति किये गये है। उक्त गेहूँ को वक्त निरीक्षण मौके पर उपस्थित श्री प्रतापसिंह ए. एस.आई. पुलिस थाना आबूरोड सदर, श्री मन्सा पुत्र सोना कर्मचारी, श्री हाफिज खान पुत्र अमीर खान केशरगंज आबूरोड एवं श्री सागरमल की मौजूदगी में कब्जे सरकार लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त गेहूँ को श्री प्रकाशचन्द पुत्र सीताराम सैन उचित मूल्य दुकानदार [illegible] आबूरोड को सुपुर्दगी में दिये गये एवं सुपुर्दगीनामा अलग से बनाया गया। [illegible] प्रार्थी की ओर से एपीपी प्रथम ने विरूद्ध अप्रार्थी श्री गोविन्द अग्रवाल मैसर्स [illegible] फ्रेश आटा मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को सरकारी सब्सिडी [illegible] राशन के गेहूँ की कालाबाजारी [illegible] कर उसका आटा बनाने के उपयोग में लिये ज[illegible]के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001, राजस्थान आद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का निनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने के कारण जब्त गेहूँ को अभिग्रहण

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करने हेतु धारा 6(ए) ई.सी. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.11 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरीओम दत्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाबदावा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का कथन सर्वथा गलत है। वक्त निरीक्षण दिनांक 07.11.11 को अप्रार्थी के मौसाजी का देहान्त होने से दाह संस्कार में शामिल होने हेतु जयपुर गया हुआ था। अप्रार्थी की गैर मौजुदगी में दुकान का ताला तोडा गया जबकि दुकान पर सील लगाकर अप्रार्थी के आने के बाद भी निरीक्षण किया जा सकता था, जो जानबुझकर गलत कार्यवाही की गयी है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त गेहूँ के 12 कट्टे कृषि उपज मण्डी, आबूरोड से जरिये बिल खरीद किये गये है जो भगवती एग्रो इन्डस्ट्रीज के थे जिसे सुपुर्दगी के समय गवाहान व सुपुर्ददार श्री प्रकाश के कहने पर तोल किया गया जो तोल करने पर प्रति कट्टा 50 किलो से 62 किलो के बीच हुआ व कुल तोल 681.4 क्विण्टल हुआ। अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नही किया है। उक्त गेहूँ के कट्टे उनके स्वयं के मालिकी के है एवं उसे अन्तरिम रूप से जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर दिये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.11 को दिया गया।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, सिरोही ने अपनी बहस मे बताया कि वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर फर्म के मालिक के भाई श्री सागरमल अग्रवाल मौजूद मिले। फर्म के गोदाम में पडे सीलबंद कट्टों का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्ट्या पाया गया कि उक्त कट्टों में गेहूँ भरा हुआ था। कट्टों का निरीक्षण करने पर कट्टों के उपर फुड एण्ड सप्लाई डिपार्टमेन्ट हरियाणा एवं हरियाणा एग्रो इन्ड. कारपोरेशन के 2010–11 लिखे हुए 12 कट्टे पाये गये। उक्त कट्टों का वजन करने पर प्रत्येक कट्टा 50 किलोग्राम का पाया गया। इस प्रकार गोदाम में कुल 6 क्विंटल गेहूँ 12 कट्टों में पाया गया। उक्त कट्टों पर कम्पनी की मशीन से सिलाई लाल डोरे से की हुई थी एवं कही से भी सिलाई टूटी हुई नहीं पाई गई। उपरोक्त कट्टों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम डिपो सिरोही रोड से जानकारी ली गई, तो उन्होने बताया कि उक्त प्रकार की मार्किंग के कट्टे भारतीय खाद्य निगम डिपों सिरोही रोड द्वारा विगत तीन माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर आपूर्ति किये गये है। कब्जे सरकार लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त गेहूँ को श्री प्रकाशचन्द पुत्र सीताराम सैन उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 3 नगरपालिका आबूरोड को सुपुर्दगी में दिये गये इस प्रकार अप्रार्थी श्री गोविन्द अग्रवाल मैसर्स भवानी चक्की फ्रेश आटा मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को सरकारी सबसिडी द्वारा देय सस्ते राशन के गेहूँ को कालाबाजारी से खरीद कर उसका आटा बनाने के उपयोग में लिये जाने के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001, राजस्थान आद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम [illegible] जब्त गेहूँ को अभिग्रहण कराते हुए गेहूँ के अन्तिम निस्तारण किया [illegible]

अप्रार्थी के विद्वान [illegible] कि वक्त निरीक्षण दिनांक 07.11.11 को अप्रार्थी के मौसाजी का [illegible] होने से दाह संस्कार में शामिल होने हेतु जयपुर गया [illegible] दुकान का ताला तोडा गया जबकि दुकान पर सील लगाकर अप्रार्थी [illegible] आने के बाद भी निरीक्षण किया जा सकता था। जो जानबुझकर गलत कार्यवाही की गयी है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त गेहूँ के 12 कट्टे कृषि उपज मण्डी, आबूरोड से जरिये बिल खरीद किये गये है जो भगवती एग्रो इन्डस्ट्रीज के थे जिसे सुपुर्दगी के समय गवाहान व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सुपुर्ददार श्री प्रकाश के कहने पर तोल किया गया जो तोल करने पर प्रति कट्टा 50 किलो से 62 किलो के बीच हुआ व कुल तोल 681.4 क्विण्टल हुआ। अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नही किया है। उक्त गेहूँ के कट्टे उनके स्वयं के मालिकी के है एवं उसे अन्तरिम रूप से जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर दिये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.11 को दिया गया था अतः प्रार्थी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 विधि द्वारा परिपोषणीय नही होने से खारिज करना फरमावे व जब्तशुदा गेहूँ अप्रार्थी को देने का आदेश फरमावे ।

हमने दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभांति अध्ययन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी ने गेहूँ खरीद का जो बिल पेश किया है, वो दिनांक 07.11.11 का है एवं सरकार द्वारा जब्त किये गये गेहूँ के वजन का नही है। इस प्रकार प्रार्थी ने जो गेहूँ जब्त किया है, वह उसी दिन का एवं प्रति कट्टा 50 किग्रा अनुमानित वजन का मानकर 12 कट्टों का कुल 6 क्विण्टल मात्रा का किया है। यदि अप्रार्थी का खरीद किया हुआ गेहूँ होता, तो जब्ती से पूर्व दिवसों का होना चाहिए, जो संदेह पैदा करता है।

नायब तहसीलदार (अतिरिक्त कार्यभार प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड) द्वारा भारतीय खाद्य निगम डिपो सिरोही रोड से जब्त गेहूँ की जानकारी लेने पर FCI डिपों सिरोही रोड द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकार के कट्टें, जिनके उपर फुड एण्ड सप्लाई डिपार्टमेन्ट हरियाणा एवं हरियाणा एग्रो इन्ड. कारपोरेशन के 2010–11 की मार्किंग की गयी हुई है, FCI द्वारा विगत तीन माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों पर आपूर्ति किये गये है। जब्त किये गये उक्त कट्टों पर कंपनी की मशीन से लाल डोरे से सिलाई की हुई थी एवं कही से भी कट्टों में सिलाई टूटी हुई नही पायी गयी। इस प्रकार मैसर्स भवानी चक्की फ्रेश आटा के गोदाम से जब्त किये गये गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को सरकारी सब्सिडी द्वारा देय सस्ते राशन गेहूँ का कालाबाजारी से खरीद कर उसका आटा बनाने के उपयोग में लिया जाना स्पष्ट पाया जाता है।

अतः सरकार द्वारा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वे जब्त किये गये गेहूँ, जिनका वजन वक्त सुपुर्दगी अनुमानित 6 क्विण्टल है एवं जो श्री प्रकाशचन्द पुत्र सीताराम सैन उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 3 नगरपालिका आबूरोड को सुपुर्द किये गये थे, की सुपुर्दगी के समय की किमत राशि सुपुर्दवार से प्राप्त कर जरिये चालान सरकार के आय लेखामद में जमा करावें तथा चालान की प्रति 7 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:20 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner